

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

उल्लेखीय (एस0) सं0-756 वर्ष 2017

चरका मुंडा, पे० स्वर्गीय कैला मुंडा, निवासी ग्राम—मंकी (चुरी कोलियरी), डाकघर—चुरी,
थाना—खलाड़ी, जिला—राँची याचिकाकर्ता

बनाम

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, अपने अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिनका कार्यालय दरभंगा हाउस, थाना—कोतवाली, जिला—राँची में है।
2. निदेशक, कार्मिक, सी०सी०एल०, जिनका कार्यालय डाकघर—दरभंगा हाउस, थाना—कोतवाली, जिला—राँची में है
3. महाप्रबंधक (पी एंड आईआर), सी०सी०एल०, जिनका कार्यालय डाकघर—दरभंगा हाउस, थाना—कोतवाली, जिला—राँची में है
4. मुख्य महाप्रबंधक, (एन०क०० एरिया), सी०सी०एल०, जिनका कार्यालय डाकघर—डाकरा, थाना—खलारी, जिला—राँची में है
5. परियोजना अधिकारी, डाकरा—बुकबुका कोलियरी, सी०सी०एल०, जिनका कार्यालय डाकघर—डाकरा, थाना—खलारी, जिला—राँची में है
6. प्रबंधक कार्मिक, डाकरा—बुकबुका कोलियरी, सी०सी०एल०, जिनका कार्यालय डाकघर—डाकरा, थाना—खलारी, जिला—राँची में है

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए :— श्री नंद किशोर प्र० सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता—सी0सी0एल0 के लिए— श्री हरदेव प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

4 / 16.06.2017 अपनी मां की मृत्यु के 16 वर्ष से अधिक समय बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को निर्देश देने की मांग की, वह उन्हें राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के क्लॉज 9.32 के तहत रोजगार प्रदान करें।

2. याचिकाकर्ता की मां को मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में वैगन लोडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसकी मृत्यु दिनांक 16.06.2001 को सेवाकाल के दौरान हुई थी। उनका नाम दिनांक 14.07.2001 के एक आदेश द्वारा कंपनी के रोल से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता और उनके छोटे भाई, दोनों को उनकी मां ने ग्रेचुटी के लिए नामित किया था। याचिकाकर्ता ने प्रखंड विकास अधिकारी, बुडुमू (रांची) द्वारा जारी एक पारिवारिक चार्ट प्रस्तुत किया है जो याचिकाकर्ता की उम्र दिनांक 26.12.1997 को 15 साल दर्शाता है। जब इस दस्तावेज की तुलना नामांकन फॉर्म के साथ की जाती है, जो याचिकाकर्ता की उम्र 10 वर्ष और उसके छोटे भाई की उम्र 3 वर्ष बताती है, तो याचिकाकर्ता की उम्र में एक गंभीर विसंगति दिखाई देती है। नामांकन फॉर्म में दोनों भाइयों के बीच उम्र में अंतर 7 वर्ष है, जबकि दिनांक 26.12.1997 के परिवार के चार्ट में यह 9 वर्ष है। मामले की मुश्किलें यहीं नहीं रुकती हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 10.07.2001 को अनुलग्नक 2 के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दिया है, हालांकि, वह लंबे 15 वर्षों तक मामले को नहीं उठाने के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। उन्होंने कथित तौर पर दिनांक 13.12.2015 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यालय का कोई प्राप्ति नहीं है।

इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है कि जब उसका एक और भाई है, तो वह अकेले नियुक्ति के लिए दावा कैसे कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों, और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले में विसंगतियों के मद्देनजर, मुझे रिट याचिका पर प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. योग्यता से रहित यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया०)